177

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 235–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–1–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, प्रकरण क्रमांक 192/अपील/अ–6/ 2014–15.

प्रभात चंसौरिया तनय श्री रामआसरे चंसौरिया
निवासी नरसिंहगढ़ पुरवा वार्ड नं.35 छतरपुर,
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1– दिग्विजय त्रिपाठी तनय श्री अमरचन्द्र त्रिपाठी
निवासी छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
2– राजमणि पाण्डेय तनय शैलेन्द्र पाण्डेय
3– नीरजा पाण्डेया पत्नी राजमणि पाण्डेय
दोनों निवासीगण छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर
4– श्रीमती कस्तूरी पत्नी किशनलाल तिवारी
निवासी छतरपुर तहसील जिला छतरपुर म0प्र0
5– नरेश कुमार तिवारी तनय किशनलाल तिवारी
निवासी छतरपुर तहसील जिला छतरपुर म0प्र0
6– धीरेन्द्र तिवारी तनय किशनलाल तिवारी
निवासी छतरपुर तहसील जिला छतरपुर म0प्र0
7– सवीता श्रीवास्तव पत्नी दिलीप श्रीवास्तव
निवासी छतरपुर तहसील जिला छतरपुर म0प्र0
8– भूपेन्द्र सिंह अनुरूद्ध सिंह परमार
9– कमलेश राजा पत्नी स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह परमार
दोनों निवासीगण कांटी छतरपुर म0प्र0
10–रमनीश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण कृष्णकांत मिश्रा
ना.सर.मॉ श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री कृष्णकांत मिश्रा
निवासी ग्राम खरयानी जिला छतरपुर म0प्र0
11–श्रीमती सुनीता पत्नी श्री प्रकाश बाबू पाण्डेय
निवासी बगौता जिला छतरपुर म0प्र0
12–भूपेन्द्रनाथ तनय अश्वनी कुमार विश्वास
निवासी बड़ामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0
13–म0प्र0शासन

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22-7-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 दिग्विजय त्रिपाठी द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा बगौता तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 45/1/1 रकबा 0.470 हेक्टेयर का भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी अनावेदक कमांक 2 राजमणि पाण्डेय है, उसके द्वारा दिनांक 1–8–2014 को अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किये जाने के कारण उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 66/अ–6/2014–15 दर्ज कर दिनांक 18–6–2015 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्र.1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–1–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील विचारण हेतु ग्राह्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 48 वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से विमुक्ति प्रदान करने से संबंधित है, पक्षकार बनाये जाने के लिये संहिता की धारा 48 में कोई प्रावधान नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 को इस आधार पर पक्षकार बनाया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के हिस्से को कय किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रचलित

अपील के माध्यम से अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 के पक्ष में हुये विभिन्न नामान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित प्रकिया नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन चाहा गया है और पटवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का वर्तमान में विकेता राजमणि अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रकरण में अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 हितबद्ध पक्षकार है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें पक्षकार बनाने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 के पक्ष में हुये नामान्तरणों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और उक्त आदेशों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वे अंतिम हो गये हैं, जिनमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा नामान्तरण आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि का अवैधानिक रूप से विकय अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 के पक्ष में किया गया है और उनके द्वारा षडयंत्रपूर्वक अपने पक्ष में नामान्तरण करा लिया गया है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, अतः उन्हें पक्षकार बनाने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तकनीकी आधारों पर यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है, जबकि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण कराना चाहिये ।

5/ प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 48 निम्नानुसार है :–

"अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिये प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की, जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी, जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभिमुक्ति न दे दी गई हो ।"

स्पष्ट है कि संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत पक्षकार बनाये जाने संबंधी अनावेदक क्र. 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि अनुसार नहीं है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 3 लगायत 12 को पक्षकार बनाने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक क्र. 1 प्रश्नाधीन भूमि का प्रथम केता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय में भले ही उसे पक्षकार बतौर संयोजित नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी हितबद्ध पक्षकार है, अपील विचारण हेतु स्वीकार की गई है, जबकि वास्तव में तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पत्र पर ही प्रकरण प्रारंभ हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष भी अभिलेख से परे है । यहॉ यह महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनेक व्यक्तियों को कर दिये जाने से एवं उनका नामान्तरण स्वीकृत हो जाने से प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है और स्वत्व के गंभीर प्रश्न के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2016 निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित अपील भी निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर